तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
	विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर व पेश होने वकालतनामा तरतीबी पक्षकारान पत्रावली दिनांक 18.05.2023 को पेश हो। सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर
18.5.23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित / पीठा. अधिकारी दौरे / अन्य कार्य में व्यस्त / मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 30-5-23 को पेश हो।
30/5/23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित / पीठा. अधिकारी दौरे / अन्य कार्य में व्यस्त / मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 23/6/23 को पेश हो।
23/6/23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित / पीठा. अधिकारी दौरे / अन्य कार्य में व्यस्त / मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 5-7-23 को पेश हो।
05.07.23	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीया व उभय पक्षकारान उपस्थित। वकील वादीया ने प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी पेश कर राजेश कुमार पुत्र घनश्यामदास को तरतीबी प्रतिवादी नम्बर 23 के रूप में जोड़े जाने का निवेदन किया जिस पर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजेश कुमार पुत्र घनश्यामदास को तरतीबी प्रतिवादी नम्बर 23 के रूप में जोड़ा गया। वकील जितेन्द्र कुमार गौड़ द्वारा तरतीबी पक्षकारान की ओर से वकालतनामा पेश किया गया। जो शामिल मिशल किया गया। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपॉर्ट जरिये पत्रांक भू.अ. /23/1118 दिनांक 05.07.2023 द्वारा इस न्यायालय को दिनांक 05.07.2023 को प्राप्त हुई जो शामिल मिशल की गई। वकील वादीया की बहस एकपक्षीय सुनी गई जिसमें वकील वादीया ने तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए इसी अनुसार अन्तिम डिक्री किये जाने निवेदन किया। जिस पर वकील तरतीबी प्रतिवा[illegible] सहमति जाहिर की। अतः वकील वादीया द्वारा प्रस्तुत [illegible] बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार [illegible] स्वीकार कर वादपत्र डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक लिखाया जाकर शामिल पत्रावली [illegible] गया। निर्णय अनुसार पृथक डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों। 05/07/23 (दिलीप सिंह) सहायक कलेक्टर(फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर दिलीप सिंह सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.21 15:41:15 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
38 / 2023	2023 / 60	08.03.2023	05.07.2023 (अन्तिम डिक्री)

उनवान प्रकरण

1. मंजू देवी पत्नी शिवराम आयु वर्ष जाति महाजन निवासी नरेडियों का [redacted] मौहल्ला अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

— वादीया—

बनाम

1. कैलाश पुत्र रामेश्वर
2. किरण देवी पुत्री मूलचंद
3. चम्मा पुत्री रामेश्वर
4. छीतर पुत्र रामेश्वर
5. प्रकाश पुत्र मूलचन्द
6. पूरण पुत्र रामेश्वर
7. पुष्पा पुत्री रामेश्वर
8. मिश्री देवी पुत्री मूलचंद
9. राजेन्द्र पुत्र रामेश्वर

[redacted].श्रवण पुत्र रामेश्वर

11. शान्ति पत्नी मूलन्द
12. सत्यनारायण पुत्र रामेश्वर
13. सुमित्रा देवी पुत्री मूलचन्द
14. सुरेश पुत्र मूलचन्द
15. सविता देवी पुत्री मूलचन्द
16. सावित्री पुत्री रामेश्वर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.21 15:41:15 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

17. सीताराम पुत्र रामेश्वर

समस्त जाति महाजन निवासीगण नरेडियो का मौहल्ला अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

18. भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

——प्रतिवादीगण——

19. कैलाश चन्द पुत्र सुरजमल जाति माली निवासी अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

20. नन्दकिशोर पुत्र रामकरण

21. बसन्त कुमर पुत्र श्यामसुन्दर

समस्त जाति महाजन निवासीगण अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

22. रीता पत्नी राजेश कुमार जाति महाजन निवासी खटीक मौहल्ला जुगसलाई, जमशेदपुर झारखण्ड

23. राजेश कुमार पुत्र घनश्यामदास जाति महाजन निवासी जुगलसलाई पूर्वी सिंह भूमि झारखण्ड

——तरतीबी प्रतिवादीगण——

उपस्थित : – श्री आदित्य प्रताप सिंह नरूका, एड0 वादीया।

श्री जितेन्द्र कुमार गौड़ एड0 तरतीबी प्रतिवादीगण 19 ता 23

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या–18

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

वादपत्र बाबत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

(अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम, 1955)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.21 15:41:15 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीया ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 2491 रकबा 2.71 है0 व भूमि खसरा नम्बर 3620 रमबा 0.07 है0 गै0मु0 रास्ता कुल

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

किता 2 कुल रकबा 2.78 है0 तन् ग्राम दिवराला पटवार हल्का दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित हैं। जिसकी 3/28 हिस्से की वादीया व 1/14 हिस्से की तरतीबी प्रतिवादी संख्या 19 व 1212 हिस्से की तरतीबी पक्षकार नम्बर 20 व 1/14 हिस्से की तरतीबी पक्षकार नम्बर 21 व 1/6 हिस्से की तरतीबी पक्षकार नम्बर 22 काबिज खातेदार काश्तकार हैं। इस प्रकार कुल 1/2 हिस्से के वादीया एवं तरतीबी पक्षकार नम्बर 19 ता 22 तथा शेष 1/2 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 17 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा भूमि खसरा नम्बर 3620 रकबा 0.07 है0 गै0मु0 रास्ता की भूमि है। वादीया, प्रतिवादीगण एवं तरतीबी पक्षकारान के मध्य आपस मं बाह्मी बंटवारा हो रखा है। जिसके अनुसार उक्त भूमि खसरा नम्बर 2491 रकबा 2.71 है0 तन् ग्राम दिवराला के पूर्वी ओर के 1/2 हिस्से पर वादीया एवं तरतीबी पक्षकारान नम्बर 19 ता 22 काबिज काश्त है एवं पश्चिमी ओर प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 17 काबिज काश्त है एवं खसरा नम्बर 3620 रकबा 0.07 है0 गै0मु0 रास्ता की भूमि है जो यथावत राजस्व रिकार्ड रहेगी। उसी अनुसार आज दिन तक अपने–अपने हक हिस्से एवं अधिकार में आयी हुयी भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है तथा अपनी–अपनी भूमियों का उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है एवं फसल काश्त करते आ रहे है। प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 17 के मन में अब बदनियति आ गई हैं ओर जोर जबरन ताकल के बल पर वादीया के हक हिस्से एवं कब्जे की भूमि पर जबरन कब्जा करने एवं उक्त भूमि का बिना विधिक बंटवारा करवाये दीगर व्यक्तियों को बेचान कर वादीया के हिस्से में आई भूमि से बेदखल कर जबरन कब्जा करवाने पर आमादा हो रहे हैं। जिसका प्रतिवादीगण को कोई हक व अधिकार नहीं हैं। वादीया ने काफी बार प्रतिवादीगण को काफी समझाया की उक्त भूमि का बाह्मी बंटवारे [illegible] अपने–अपने हिस्से में आई भूमि का मौका विधिक बंटवारा [illegible] तो हां करते रहे एवं अब प्रतिवादीगण के मन में बदनियति आ गई है। जबरन ताकत के बल पर वादीया के जो अर्सा कदीम से बाह्मी बंटवारा में आई हुई हैं, से जोर जबरन

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.21 15:41:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह 21/8/23
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

ताकत के बल पर बेदखल कर जबरन दीगर व्यक्तियों को कब्जा करवाने की धमकियां दे रहे हैं, कहने, सुनने, समझाने से मान नहीं रहे है तथा मौके पर कानूनहीनता की गंभीर स्थिति पैदा कर रखी है। जिनका उनको किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है। दिनांक 15.02.2023 को वादीया द्वारा प्रतिवादीगण को उक्त वर्णित भूमियों में वादीया के बाह्मी बंटवारे अनुसार अपने हक हिस्से व अधिकार की भूमि का विधिवत बंटवारा करने बाबत कहा तो प्र[redacted]वादीगण भड़क गये तथा कहा कि हमारी पहुंच ऊपर तक है तथा प्रतिवादीगण ने ऐहलानियां धमकी दी कि हम कभी भी मौका पाकर बाह्मी बंटवारा भंग कर वादीया एवं तरतीबी पक्षकार की भूमियों की सीमाओं को तोड़फोड़ करके दीगर लोगों को वादी की भूमियों को दिखाकर भूमाफिया लोगों को संयुक्त रिकार्ड की आड़ में बैचान करेगें तथा प्रतिवादीगण बाह्मी बंटवारा कराने से इन्कार हो गये। इसलिए वादकारण उत्पन्न हुआ है।

इस पर वादीया के वाद को दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 18 को जरिये रजिस्ट्रर्ड डाक सम्मन नोटिस तलब किया गया। जिस पर प्रतिवादीगण की ओर से कोई हाजिर अदालत नहीं आये। प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 18 की तामिल जरिये रजिस्ट्रर्ड डाक से करवाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 18 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी तथा तरतीबी प्रतिवादीगण नम्बर 19 ता [redacted]की ओर से वकील जितेन्द्र कुमार गौड एड0 ने अण्डर टेकिंग पेश की। वकील वादीया ने वादग्रस्त आराजी भूमियों का वादीया, प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 17 एवं तरतीबी प्रतिवादीगण नम्बर 19 ता 22 [illegible] मध्य [illegible]ाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार विधिक विभाजन करवाकर [illegible]कर अलग बट्टा नम्बर डालकर वादीया, तरतीबी प्रतिवादीगण एवं [illegible]तिवादीगण का राजस्व रिकार्ड अलग बनाया जाकर अलग से लगान कायम करते हुये अलग–अलग सींव कायम कर नक्शे में तरमीम करवाये जाने हेतु विधिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.21 15:41:15 IST
Reason: SelfAttested

कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

श्रीमाधोपुर से मंगवाये जाने का निवेदन किया। जिस पर वकील तरतीबी प्रतिवादीगण 19 ता 22 की ओर से भी प्रारम्भिक डिक्री हेतु आदेशिका पर हस्ताक्षर कर अपनी सहमति व्यक्त की। उक्त प्रकरण एकपक्षीय तथा आपसी सहमति होने से तनकीयात कायम नहीं की जाकर सीधे ही पक्षकारान के मौके पर हक हिस्से एवं कब्जे काश्त के अनुसार विधिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मंगवाये जाने हेतु दिनांक 17.04.2023 प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार एवं राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याया/स्था/प–51/2008/विविध/10346 दिनांक 05.10.2020 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर जरिये पत्रांक 921 दिनांक 11.05.2023 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट अलग–अलग रंगों में तैयार कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक भू.अ./23/1118 दिनांक 05.07.2023 द्वारा के द्वारा पालना रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के प्राप्त होकर न्यायालय के समक्ष दिनांक 05.07.2023 को पेश की गई। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट को शामिल पत्रावली की गई।

वकील वादीया ने प्रकरण के बंटवारा से संबंधित होने तथा प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट [redacted] होने से आज ही बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

हमने वकील वादीया की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादीया द्वारा की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन चौसाला जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमि के वादीया, प्रतिवादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। इस आधार पर वादीया

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.21 15:41:15 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

काश्तकारी अधिनियम–1955 के अन्तर्गत धारा–53 बंटवारा की हकदार है। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि पक्षकारान अपने–अपने हक हिस्से का विभाजन अन्तर्गत धारा–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के प्रावधानों के अधीन कराये जाने के अधिकारी है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट से वकील वादीया ने अपनी सहमति प्रकट की है। वादीया, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 17 व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 19 ता 23 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार खातेदार क[redacted]तकार घोषित किया जाकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादीया, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 17 व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 19 ता 23 के प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करने बाबत वादीया का वाद स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीया का वाद बाबत् बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। इस प्रकार वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुये बंटवारा अनुसार तहसीलदार [redacted]गोपुर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार दिनांक 05.07.2023 में वर्णित विधिक विभाजन प्रस्ताव, नजरी नक्शा ट्रेस के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.21 15:11:18 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

07/08/23

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

जमाबंदी के अनुसार खाते की स्थिति :–

क्र. सं.	खाता संख्या	खातेदार का नाम	ख0 नं0	रकबा (है0)	किस्म	लगान
1.	974	1. कैलाश पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1/4 जाति महाजन 2. किरण देवी पुत्री मूलचंद हिस्सा 1/28 जाति महाजन 3. चम्पा पुत्री रामेश्वर हिस्सा 1/40 जाति महाजन 4. छीतर पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1/40 जाति महाजन 5. प्रकाश पुत्र मूलचंद हिस्सा 1/28 जाति महाजन 6. पूरण पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1/40 जाति महाजन 7. पुष्पा पुत्री रामेश्वर हिस्सा 1/40 जाति महाजन 8. बसन्तकुमार पुत्र श्यामसुन्दर हिस्सा 1/14 जाति महाजन 9. मंजूदेवी पत्नि शिवरतन हिस्सा 3/28 जाति महाजन 10. मिश्री देवी पुत्री मूलचंद हिस्सा 1/28 जाति महाजन 11. राजेन्द्र पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1/40 जाति महाजन 12. राजेश कुमार अग्रवाल पुत्र घनश्याम दास अग्रवाल हिस्सा 13/84 जाति महाजन 13. रीता पत्नि राजेशकुमार हिस्सा 1/6 जाति महाजन 14. श्रवण पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1/40 जाति महाजन 15. शान्ति पत्नि मूलचंद हिस्सा 1/28 जाति महाजन 16. सत्यनारायण पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1/40 जाति महाजन	2491 3620	2.71 0.07	बारानी 2 गै0मु0 रास्ता	10.05

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.21 15:41:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

21/07/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

		17 सुमित्रादेवी पुत्री मूलचंद हिस्सा 1/28 जाति महाजन 18 सुरेश पुत्र मूलचंद हिस्सा 1/28 जाति महाजन 19 सवितादेवी पुत्री मूलचंद हिस्सा 1/28 जाति महाजन 20 सावित्री पुत्री रामेश्वर हिस्सा 1/40 जाति महाजन 21 सीताराम पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1/40 जाति महाजन				
		योग	किता –2	2.78	–	10.05

मौके के अनुसार बंटवारा प्रस्ताव :–

क्र. सं.	खाता संख्या	खातेदार का नाम	खं0 नं0	रकबा (है0)	किस्म	लगान
1.	974	1. बसन्तकुमार पुत्र श्यामसुन्दर हिस्सा 1935/1355 जाति महाजन सा. अजीतगढ़ खातेदार 2. मंजूदेवी पत्नि शिवरतन हिस्सा 2910/1355 जाति महाजन सा. अजीतगढ़ खातेदार 3. राजेश कुमार पुत्र घनश्याम दास हिस्सा 4194/1355 सा. 127/90 ग्यारसी भवन जुगसलाई पूर्वी सिंह भूमि झारखण्ड खातेदार 4. रीता पत्नि राजेशकुमार हिस्सा 4516/1355 जाति महाजन सा. खटीक मौहल्ला जुगसलाई जमशेदपुर झारखण्ड खातेदार	2491/1	1.355	बारानी 2	05.03
		योग	किता –1	1.355		05.03
2.	974	1. कैलाश, छीतर, [illegible] सत्यनारायण, सीताराम [illegible] पुष्पा, सावित्री पुत्रियां रामेश्वर हिस्सा 1/[illegible] हि.ब. जाति महाजन सा. अजीतगढ़ खातेदार 2. प्रकाश, सुरेश पुत्रगण मूलचंद, किरणदेवी,	[illegible]/2	1.355	बरानी–2	05.02

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.21 15:41:15 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
[illegible]पुर (सीकर)

		मिश्रीदेवी, सुमित्रादेवी, सवितादेवी पुत्रियां मूलचंद, शान्ति पत्नी मूलचन्द हिस्सा 1/2 ब. हि.ब. जाति महाजन सा. अजीतगढ़ खातेदार				
		योग	किता –1	1.355	–	05.02
3.	974	1. कैलाश पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1/40 जाति महाजन 2. किरण देवी पुत्री मूलचंद हिस्सा 1/28 जाति महाजन 3. चम्पा पुत्री रामेश्वर हिस्सा 1/40 जाति महाजन 4. छीतर पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1/40 जाति महाजन 5. प्रकाश पुत्र मूलचंद हिस्सा 1/28 जाति महाजन 6. पूरण पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1/40 जाति महाजन 7. पुष्पा पुत्री रामेश्वर हिस्सा 1/40 जाति महाजन 8. बसन्तकुमार पुत्र श्यामसुन्दर हिस्सा 1/14 जाति महाजन 9. मंजूदेवी पत्नि शिवरतन हिस्सा 3/28 जाति महाजन 10. मिश्री देवी पुत्री मूलचंद हिस्सा 1/28 जाति महाजन 11. राजेन्द्र पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1/40 जाति महाजन 12. राजेश कुमार पुत्र घनश्याम दास हिस्सा 13/84 जाति महाजन 13. रीता पत्नि राजेशकुमार हिस्सा 1/6 जाति महाजन 14. श्रवण पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1/40 जाति महाजन 15. शान्ति पत्नि मूलचंद हिस्सा 1/28 जाति महाजन 16. सत्यनारायण पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1/40 जाति	3620	0.07	गै०मु० रास्ता	–

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.21 15:41:15 IST
Reason: SelfAttested

Rathore
03/07/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

		महाजन 17. सुमित्रादेवी पुत्री मूलचंद हिस्सा 1/28 जाति महाजन 18. सुरेश पुत्र मूलचंद हिस्सा 1/28 जाति महाजन 19. सवितादेवी पुत्री मूलचंद हिस्सा 1/28 जाति महाजन 20. सावित्री पुत्री रामेश्वर हिस्सा 1/40 जाति महाजन 21. सीताराम पुत्र रामेश्वर हिस्सा 1/40 जाति महाजन सा0 अजीतगढ़ खातेदारे				
		योग	किता –1	0.07	–	–

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबंदी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग–अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावें। तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक भू.अ./23/1118 दिनांक 05.07.2023 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा मय कुर्रेजात रिपोर्ट को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 05.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.21 15:41:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)